न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 175/2022
GCMS NO. : 2022/368

–: प्रार्थीगण :–

1. पुखनाथ पुत्र बुधनाथ
2. उम्मेदनाथ पुत्र ओमनाथ
   जातियान– नाथ
3. नारायण पुत्र बुदर
   जाति– जाट, सभी निवासीगण–
   फालका, तहसील जैतारण।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. प्रकाशचंद्र पुत्र विशनाराम
2. ढगलाई पत्नी विशनाराम
3. कबुड़ीदेवी पुत्री विशनाराम
4. कचुड़ी पुत्री विशनाराम
   जातियान– जाट
5. कालूराम पुत्र शिवनारायण
6. भैरूलाल पुत्र शिवनारायण
7. सांवलराम पुत्र शिवनारायण
   जातियान– ढोली
   सभी निवासीगण फालका,
   तहसील– जैतारण, जिला– पाली
   राजस्थान।
8. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी
   राजस्थान सरकार।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 24/11/2022

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री समीर खान, श्री सुरेश कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, श्री डांवरराम चौधरी अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 16/10/2023

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा– फालका, पटवार हल्का– फालका, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील जैतारण, जिला पाली, राजस्थान में प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 1.2141 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व प्रार्थीगण संख्या 3 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 93 रकबा 4.1925 किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी का बंटवाड़ा हो रखा है। प्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इसी प्रकार सरहद मौजा फालका में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पास में अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आई हुई है। जिसमें अप्रार्थी संख्या एक से चार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 84 रकबा 4.5568 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व प्रार्थी संख्या 5 से 7 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 85/1326 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि आई हुई है। उपरोक्त अप्रार्थीगण की कृषि भूमियां प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पास में स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के पास में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

खसरा नम्बर 85 किस्म गै.मु. मगरी भी आई हुई है, जो राजस्थान सरकार की कृषि भूमि है, उक्त भूमि गांव के लोग अपने पशु चराने एवं अपने खेतो मे आने जाने के लिये रास्ते के रूप में उपयोग में ले रहे है परन्तु अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 85 की भूमि को अपने हक हिस्से की भूमि में गैरकानूनी तरीके से मिलाकर अतिक्रमण कर लिया और अतिक्रमण करते हुए अप्रार्थीगण अब प्रार्थीगण की भूमि के पास आकर सीमा विवाद करते हुए लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये जबकि प्रार्थीगण की भूमि राजस्व रेकर्ड के नक्शे मे अलग से तरमीम है तथा मौके पर भी उक्त आराजी अलग से बंटी हुई है। जिसके चारो तरफ मांठे कायम है परन्तु अप्रार्थीगण जिनकी की कृषि भूमियां प्रार्थीगण से अलग है और उनकी भूमिया भी अलग से मौके पर बंटी हुई है तथा मांठ कायम है, परन्तु अप्रार्थीगण ने बिना किसी हक अधिकार के प्रार्थीगण की जमीन की मांठे तोडकर दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया तथा आये दिन सीमा व मांठ को लेकर अप्रार्थीगण विवाद करते है। अप्रार्थीगण जो कि संख्या मे अधिक होने से प्रार्थीगण को बेवजह हैरान परेशान करते है, जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की जमीने अलग अलग बंटी हुई है परन्तु अप्रार्थीगण जानबुझकर के मांठ को लेकर विवाद करते है और बार बार कभी खन्दक को बिखेर देते हैं, कभी तारबन्दी हटा देते है। इस प्रकार बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण की भूमि में दखलन्दाजी करते है और सीमा को लेकर विवाद करते है। इसलिए प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र सीमाज्ञान का विरुद्ध अप्रार्थीगण श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थीगण अपनी आराजी में काश्त करने लगे तो अप्रार्थीगण सीमा को लेकर विवाद किया तथा जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के बीच में जो पुरानी मांठ कायम थी और जहां पर तारबन्दी की हुई थी उसे हटाते हुए अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की मांठ को बिखेरकर प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि के अन्दर तारबन्दी कर दी और मौके पर प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु जो रास्ता छोड़ा हुआ था उस रास्ते को भी अप्रार्थीगण ने अपने हक हिस्से की भूमि में मिला लिया तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से सीमाज्ञान करवाने का भी निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण सीमाज्ञान करवाने के लिये भी रजामन्द नही हो रहे है और प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन मे हक जताना शुरू कर दिया और दिनांक 28/08/2022 को प्रार्थीगण के खेत के चारो तरफ लगी मांठो को भी बिखेर दिया व तारबन्दी की हुई थी, उस तारबन्दी को हटाकर प्रार्थीगण के भू भाग में अतिक्रमण करते हुए तारबन्दी कर दी और विवाद करने लगे जबकि प्रार्थीगण की भूमि में अप्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नही है परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण अपनी हरकतो से बाज नही आ रहे है और जबरदस्ती खन्दक व तारबन्दी को हटाकर विवाद शुरू कर दिया, जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में अलग से दर्ज हैं परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण गैरकानूनी तरीके से विधिविरुद्ध रूप से पिछले काफी दिनो से सीमा को लेकर विवाद कर रहे है व प्रार्थीगण की भूमि के चारो तरफ कायम पुरानी मांठ व तारबन्दी को बिखेर कर अपनी हक जता रहे है जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की जमीनों के बीच मे लम्बे समय से मांठ एवं तारबन्दी कायम है परन्तु अप्रार्थीगण जो कि संख्या मे ज्यादा होने से प्रार्थीगण की जमीन को सीमा विवाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:44:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण ([redacted])

करके जमीन हडपना चाहते है एवं प्रार्थीगण की जमीन मे आने वाले रास्ते को बंद करके जो गै.मु. मगरी की जमीन है, उस पर भी अतिक्रमण कर लिया और अप्रार्थीगण की नियत शुरू से ही गलत है और वह कानून हाथ मे लेकर गैरकानूनी कृत्य करते हुए सीमा विवाद खड़ा कर दिया। इसलिए प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की ओर से विरुद्ध अप्रार्थीगण के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 28/08/2022 को अप्रार्थीगण द्वारा सीमा विवाद करने पर नापचौप करवाने एवं सीमाज्ञान का कहने पर अप्रार्थीगण स्पष्ट इन्कार हो गये तब प्रार्थीगण ने दिनांक 07/09/2022 को अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार जैतारण को अपनी भूमि का नापचौप कर सीमाज्ञान करने का आग्रह किया तो अप्रार्थी संख्या 8 ने यह कहते हुए आग्रह ठुकरा दिया कि मौके पर विवाद है, इसलिए वह सीमाज्ञान नही कर सकते है तब प्रार्थीगण के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष सादर है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3 व 5 से 7 को बार बार आवाज दिलाई गई, बावजूद सम्मन/सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 4 के द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बर 91 एवं 93 की भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने के तथ्यों को प्रार्थीगण स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित खसरा नम्बर 84 की भूमि प्रकाशचंद वगैराह की आई हुई होने के कथन सही होने से स्वीकार है, लेकिन इस पद में वर्णित खसरा नम्बर 85/1326 के सम्बन्धित तथ्यों को प्रार्थीगण स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। जवाब देहन्दागण ने खसरा नम्बर 85 की भूमि पर ना तो कोई अतिक्रमण किया है न ही इस खसरा नम्बर 85 की भूमि के सम्बन्ध कोई विवाद किया है। इसी प्रकार जवाब देहन्दागण के खसरा नम्बर 84 की भूमि एवं प्रार्थीगण के खसरा नम्बर कमशः 91 व 93 की भूमि व माट को लेकर के भी कोई विवाद नही है। प्रार्थीगण ने जवाब देहन्दागण पर नाप चौप व माट को लेकर सीमा विवाद करने से सम्बन्धित झूठे आरोप लगाये है तथा पूर्व में प्रार्थीगण की ओर से आरोपों के सम्बन्ध में पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा नाप चौप करके मौके पर सीमायें निर्धारित करवाई जा चुकी है। उसके बावजूद भी प्रार्थीगण बार-बार अनावश्यक तथ्यो का समावेश कर इस पद में झूठे आरोप लगाते हुये यह कार्यवाही पेश की है, जो काबिल खारिज के है, साथ ही खसरा नम्बर 85 किस्म गै.मु. मगरी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिये अधिकृत नहीं है। राजस्व कर्मियों द्वारा गै.मु. मगरी की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में जवाब देहन्दागण पर कोई आरोप नहीं लगाये है, साथ ही खसरा नम्बर 85 गै.मु. मगरी पर प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:44:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

नही है। इसलिये गै.मु. मगरी की सीमा तक प्रार्थीगण इस कार्यवाही के जरिये किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। इसलिये भी प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही काबिल खारिज के होने से खारिज की जावें। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। जवाब देहन्दागण ने खसरा नम्बर 85 की भूमि पर न तो कोई अतिक्रमण किया है न ही इस खसरा नम्बर 85 की भूमि के सम्बन्ध कोई विवाद किया है। इसी प्रकार जवाब देहन्दागण के खसरा नम्बर 84 की भूमि एवं प्रार्थीगण के खसरा नम्बर कमशः 91 व 93 की भूमि व माठ को लेकर के भी कोई विवाद नहीं है। दिनांक 28.08.2022 को या अन्य किसी दिवस पर भूमि के नाप चौप को लेकर पक्षकारों के बीच कोई विवाद नही हुआ है। उसके बावजूद भी प्रार्थीगण ने जवाब देहन्दागण पर नाप चौप व माठ को लेकर सीमा विवाद करने से सम्बन्धित झूठे आरोप लगाये है तथा पूर्व में प्रार्थीगण की ओर से आरोपों के सम्बन्ध में पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा नाप चौप करके मौके पर सीमाये निर्धारित करवायी जा चुकी है। इसलिये भी प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही काबिल खारिज के होने से खारिज की जायें। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस प्रकरण में धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र कतई झूठा व निराधार होने से काबिल खारिज के है जो खारिज किया जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी एवं भू नक्शा की सत्यापित प्रतिलिपि पेश की गई जो शामिल मिसल की गई।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है–

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फालका तहसील जैतारण में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 1.2141 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 93 रकबा 1.2141 हैक्टेयर स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। उक्त खसरा नम्बरान आराजी के पास ही अप्रार्थीगण संख्या 01 से 4 की खसरा नम्बर 84 रकबा 4.5568 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण संख्या 5 से 7 की खसरा नम्बर 85/1326 रकबा 1.6187 हैक्टेयर कब्जे काश्त की कृषि भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकर्ड में अलग से इन्द्राज एवं राजस्व रेकर्ड के नक्शे में भी अलग से तरमीम है। प्रार्थी की भूमि राजस्व रेकर्ड के नक्शे में अलग से तरमीम है तथा मौके पर अलग बंटी हुई है, लेकिन अप्रार्थीगण बिना किसी हक एवं अधिकार के प्रार्थी की जमीन में दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया तथा सीमाज्ञान व मांठ को

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 10:44:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

लेकर अप्रार्थीगण विवाद करते है। अप्रार्थीगण सीमाज्ञान करवाने के लिए भी तैयार नही है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 91 व 93 का सीमाज्ञान करवाया जाकर नाप चौप किया जाकर पत्थरगढी करवायी जाये, तथा अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर विवाद करने के कारण आदेश की पालना जरिये पुलिस इमदाद करवाई जाए।

2. अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुये कथन किया है कि जवाब देहन्दागण का खसरा नम्बर 85 किस्म गै0मु0 मगरी की भूमि पर न तो कोई अतिक्रमण किया है न ही खसरा नम्बर 85 किस्म गै0मु0 मगरी की भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद किया है। इसी प्रकार जवाब देहन्दागण की आराजी खसरा नम्बर 84 की भूमि व प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 91 व 93 की भूमि व माठ को लेकर भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का कोई वाद विवाद नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र काबिल खारिज के होने से खारिज की जावे।

3. पत्रावली व संलग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह जाहिर है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम फालका, तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 91 रकबा 1.2141 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा खसरा नम्बर 93 रकबा 4.1925 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के प्रार्थीगण संख्या 3 अभिलिखित खातेदार एवं कब्जे काश्त है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 84 रकबा 4.5568 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण संख्या 5 से 7 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 85/1326 रकबा 1.6187 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 85 किस्म गैर मुमकिन मगरी प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 91 व 93 के साथ सीमा बनाती है तथा वादग्रस्त आराजी के भू नक्शो की प्रतिलिपियो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की आराजी तथा खसरा नम्बर 85 की सीमाएं परस्पर लगती हुई हैं। अतः उभयपक्ष के मध्य खेतों की वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को लेकर विवाद होने से इनकार नहीं किया जा सकता तथा प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार होता है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो तथा वह इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं पर सीमा चिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सकें। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र के खण्डन हेतु कोई सारवान दस्तावेजी तथ्य प्रस्तुत नही किए है।

4. चूंकि उपर्युक्त खसरान् की वादग्रस्त आराजी भू नक्शा में तरमीमशुदा है व जमाबंदी में सभी खसरान् का कुल रकबा अंकित है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने-अपने हक हिस्से के कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 85 किस्म रकबा गैर मुमकिन मगरी अतः खातेदारान् के मध्य खसरा विशेष की वास्तविक सीमा की अवस्थिति को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है तथा ऐसे विवादों का समाधान मौके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर स्पष्ट सीमाचिह्न अधिरोपित करवाते हुए करवाया जा सकता है, ताकि काश्तकारों के [illegible] अनावश्यक विवाद एवं जटिलता उत्पन्न न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:44:22 IST
Reason: SelfAttested

अतः हम हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 91 रकबा 1.2141 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 93

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

रकबा 4.1925 हैक्टेयर एवं इससे लगती अन्य खातेदारान् अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 84 रकबा 4.5568 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण संख्या 5 से 7 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 85/1326 रकबा 1.6187 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 85 किस्म गैर मुमकिन मगरी की आराजी का मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शा के मौके पर नाप चौप करते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण खातेदारान के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थीगण के खर्चे पर प्रार्थीगण की आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न अधिरोपित करवाया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्व ग्राम फालका, भू अभिलेख निरीक्षक आ0कालू तहसील–जैतारण में स्थित प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 91 रकबा 1.2141 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व प्रार्थीगण संख्या 3 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 93 रकबा 4.1925 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तथा अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 84 रकबा 4.5568 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 85/1326 रकबा 1.6187 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 85 किस्म गैर मुमकिन मगरी के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए जमाबंदी एवं भू नक्शे के मुताबिक मौके पर नाप चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक अधिरोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। यदि मौके पर खातेदारान् के मध्य विवाद एवं अशांति की आशंका हो तो संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद लेकर आदेश का मौके पर क्रियान्वयन करवाया जाये। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 16/10/2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sunder Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:44:22 IST
Reason: SelfAttested